फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

उषा केजरीवाल वगै0 बनाम नेत्रपाल सिंह वगै0

(म)ुकदमा नं0 :–04/2024

(क्र)म (सं)ख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अमल में लाई गई। तहसीलदार ने अपने पत्रांक/एल.आर./2024/1362 दिनांक 25.04.2024 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 02.05.2024 को पेश हों। उप खण्ड अधिकारी	
	02.05.2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थीगण की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए बिन्दु सं0 1 में वर्णित भूमि ग्राम भीमावास, पटवार हल्का सामरेड कलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 188 रकबा 2.9800है0 कुल रकबा 3.0100है0 की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम भीमावास, पटवार हल्का सामरेड कलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 188 रकबा 2.9800है0 कुल रकबा 3.0100है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उप खण्ड अधिकारी (ललित मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	